निदेशालय
महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल : sso1rajhg@hotmail.com
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः प.37 ( )गृरमु/पीएसएएल/2016/ 126–162 दिनांकः 10.02.2017

स्थाई–आदेश सं. II/2017

विषयः– प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी के आवेदको,गार्डस एवं पर्यवेक्षकों को सिक्यूरिटी प्रशिक्षण बाबत।

प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 (PASAR Act) के नियमों में प्रावधानों के अन्तर्गत सिक्यूरिटी एजेन्सी संचालक तथा सिक्यूरिटी गार्डस हेतु प्रशिक्षण लिये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान परिपेक्ष्य में आन्तरिक एवं बाह्यय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सिक्यूरिटी संचालक एवं गार्डस के लिये प्रशिक्षण अति महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हो गया है। सुरक्षा गार्डो को पुलिस से समन्वय स्थापित कर सुरक्षा कार्य करना भी अति आवश्यक हो गया है। राजस्थान में बढती हुई इण्ड्रस्टीज, माईनिंग, पावर प्लान्ट, टौल प्लाजा, बडे माल्स तथा बडी बिल्डिंग्स का निर्माण आदि भारी तादात में हो रहा है जिससे इन सिक्यूरिटी गार्डस की भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिये प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान में सुरक्षा से संबंधित नये इलेक्ट्रोनिक व सूचना प्रोद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग, संचालन, देखभाल तथा इसकी जानकारी के अभाव को महसूस किया जाता है। आन्तरिक सुरक्षा के बदलते परिपेक्ष्य में नये सुरक्षा उपकरणों तथा सुरक्षा की विधियों की व विधिक जानकारी हर समय महसूस की जा रही है, परंतु सामान्यतः यह देखने में आया है कि आवेदको/गार्डस द्वारा एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात किसी भी तरह का पुनः प्रशिक्षण प्राप्त नही किया जाता है, जिससे उनमें पूर्ण जानकारी का अभाव रहता है।

राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 (PASAR Act) के नियम–8 में सिक्यूरिटी कार्यो के लिये प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। नियम–8 (1) में निम्नलिखित प्रावधान है –''नियंत्रक प्राधिकारी सुरक्षा गार्डो के प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्य विवरण विचरित करेगा। यह प्रशिक्षण कम से कम बीस कार्य दिवसों

... 2 ...

में न्यूनतम सौ घण्टे के कक्षा शिक्षण और साठ घण्टे के मैदानी प्रशिक्षण की कालावधि का होगा। तथापि पूर्व सैनिकों और पूर्व पुलिस कार्मिकों से कम से कम सात कार्य दिवस में केवल न्यूनतम चालीस घण्टे के कक्षा शिक्षण और सोलह घण्टे के मैदानी प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की अपेक्षा की जायेगी।'' नियम–8(2) में (क) से (त) तक प्रशिक्षण के विषय सम्मिलित किये गये है।

विभाग में सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन के आवेदकों की श्रेणियां क्रमशः भूतपूर्व सैन्य अधिकारी, भूतपूर्व पैरा मिलट्री फोर्स, भूतपूर्व पुलिस, भूतपूर्व होमगार्डस इत्यादि एवं अन्य आवेदक है, जिनको प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। हालाकि होम गार्डस के कार्मिकों का वर्णन उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत नही है तथापि होम गार्डस के समकक्ष प्रशिक्षण तथा पुलिस के साथ कानून व्यवस्था ड्यूटियों में इनके योगदान को देखते हुये इन्हें भी भूतपूर्व सैन्य अधिकारी, भूतपूर्व पैरा मिलट्री फोर्स, भूतपूर्व पुलिस के समान ही प्रशिक्षण हेतु माना जा सकता है।

पुनः प्रशिक्षण हेतु सभी स्तर के अवेदकों तथा गार्डस को निम्नानुसार प्रशिक्षण लिया जाना आवश्यक होगाः–

क्र. सं.	श्रेणी	प्रथम बार	5 वर्ष बाद	10 वर्ष बाद	15 वर्ष बाद	20 वर्ष बाद	25 वर्ष बाद
1.	भूतपूर्व सैन्य अधिकारी,पैरा मिलट्री फोर्स, पुलिस,होमगार्डस	7 दिवस	7 दिवस	21 दिवस	7 दिवस	21 दिवस	7 दिवस
2	अन्य	21 दिवस	7 दिवस	21 दिवस	7 दिवस	21 दिवस	7 दिवस

प्रशिक्षण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्तानुसार पुनः प्रशिक्षण आवश्यक रूप से लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण उन्ही **अधिकृत प्रशिक्षण संस्थानों** से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जिन एजेन्सियों को राजस्थान में पंजिकृत करते हुये नियंत्रक प्राधिकारी महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा सिक्यूरिटी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करते हुये अनुज्ञप्ति जारी की गई है। सात दिवसीय पुनः प्रशिक्षण हेतु (पांचवे,पद्रहवे,पच्चीसवें वर्ष) नियम–8(2) में वर्णित उप नियम (क),(ख),(ग), (घ),(ङ),(झ),(ञ) तथा (त) में वर्णित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक रूप से चलाया जावेगा।

... 3 ...

Scanned by CamScanner

राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 (PASAR Act) के नियम–8 के उप नियम (3),(4),(5) में वर्णित नियमों के प्रावधान जो पूर्व से ही प्रचलित है तथा राजस्थान में कार्यरत सुरक्षा एजेन्सियॉ इनकी पूर्व से ही पालना कर रही है। भविष्य में सभी एजेन्सियॉ इन प्रावधानों की पालना कडाई से सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों की सार्थकता के लिये सभी सिक्यूरिटी गार्डस जिन्होनें उपरोक्तानुसार 21 दिवस एवं 7 दिवस का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया है की सूची राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 (PASAR Act) के नियम–8 के उप नियम (4) के अन्तर्गत विभागीय निरीक्षण हेतु वर्ष में दो बार (प्रत्येक छःमाही में एक बार क्रमशः 1 से 31 जनवरी व 1 से 31 जुलाई के मध्य) प्रस्तुत की जावेगी।

सिक्यूरिटी गार्डस को राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 (PASAR Act) के नियम–9 में वर्णित शारीरिक स्वस्थता के मानकों की पालना पूर्वानुसार की जाकर नियम–9 के उप नियम (1),(2),(3) के प्रावधानों के अनुसार गार्डस की सूची वर्ष में एक बार भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। (1 से 31 जनवरी के मध्य)

राज्य में सिक्यूरिटी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिये राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 (PASAR Act) के नियम–8 एवं नियम–9 की **कडाई से पालना** अति आवश्यक है।

(नवदीप सिंह)
महानिदेशक,पुलिस
एवं नियंत्रक प्राधिकारी
गृह रक्षा,राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. समस्त प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी,राजस्थान।
2. समस्त प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी प्रशिक्षण संस्थान,राजस्थान।
3. समस्त कमाण्डेन्ट,होम गार्डस,राजस्थान को भेजकर लेख है कि एजेन्सियों के निरीक्षण के दौरान आवेदकों,गार्डस एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यक रूप से जॉच की जावें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
5. आदेश पत्रावली।

(पंकज महर्षि)
उप महासमादेष्टा
प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी सैल
गृह रक्षा, मुख्यालय,राजस्थान,
जयपुर।

Scanned by CamScanner